वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(68)/2009-PD   दिनांक/Dated: 08.07.2024

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

Sub. : Options for inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have since been retired- reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 09.04.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी)/8860 को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 57/05/2021-P&PW(B)/8860 dated 09.04.2024 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by M ARUN MANIKANDA BHARATHI

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788   Gram : CONSEARCH, NEW DELHI   Website : http://www.csir.res.in

सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी)/8860

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 09.04.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की बाबत पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों को प्रशासित करता है। इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा.सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी) के निर्देशानुसार ऐसा केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी जो उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार, उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी, इन निर्देशों की प्रयोज्यता की जांच करने और निर्णय लेने का उत्तरदायी है।

2. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी पर, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के संबंध में दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा.सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(1) द्वारा निर्देश जारी किए गए थे।

3. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने से संबंधित अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे थे। तदनुसार, इन मामलों से निपटने के लिए निम्नलिखित एफ़एक्यू जारी किए जा रहे हैं:

क्रम सं.	जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की टिप्पणियां
(i)	दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा. में दो तत्वों पर धन वापसी अपेक्षित है अर्थात (i) एनपीएस के अधीन सरकारी अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ और (ii) उस पर दिया गया ब्याज। जबकि सेवानिवृत्त होने पर निकासी के	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा. में, यह स्पष्ट किया गया था कि केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो अन्यथा ओपीएस के अंतर्गत कवरेज के पात्र हैं और जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन पर दिनांक 03.03.2023 का

जारी-

	समय अंशदाता के एनपीएस खाते में संचित धन में सरकारी अंशदान की रकम और उस पर प्रतिलाभ एनएसडीएल से सुनिश्चित किया जाएगा, निकासी की तारीख से लेकर कर्मचारी द्वारा वापस करने की तारीख तक ब्याज (सरल या चक्रवृद्धि और दरें जिन पर कंपाउंडिंग की जानी है) की वसूली की दर और रीति स्पष्ट नहीं है।	उपरोक्त का.ज्ञा. लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि, इस मामले में, कर्मचारी पहले ही एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर चुका है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए, यदि वह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ को ब्याज सहित वापस करना अपेक्षित होगा।
(ii)	कार्यालय ज्ञापन में उस तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया गया है जब तक सरकारी अंशदान पर प्रतिलाभ की वसूली की जानी है। क्या यह अधिवर्षिता/सेवानिवृत्त होने की तारीख तक है या एनपीएस से केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमों के अधीन पेंशन में अंतरण की तारीख तक है। यदि प्रतिलाभ की वसूली की तारीख कर्मचारी की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख तक है, तो क्या सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद कर्मचारी द्वारा ली गई Annuity से कोई समायोजन या वसूली की जानी अपेक्षित है या नहीं और यदि हां, तो वसूली/समायोजन करने की रीति क्या है।	वापस की जाने वाली रकम पर ब्याज की गणना की दर और रीति इस विभाग के दिनांक 29.04.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/34/2001-पी&पीडब्ल्यू(एफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी अर्थात पेंशन हितलाभों की प्राप्ति की तारीख से सरकार को धन वापस करने की तारीख तक के लिए ब्याज की गणना, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) पर यथा लागू दर पर और ऐसी रीति में की जाएगी।
(iii)	आदेश में यह नहीं बताया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को किस तारीख से पेंशन दी जानी है। चूंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सेवानिवृत्त सरकारी अंशदान सहित ब्याज वसूला जाना है, स्पष्टतया पेंशन अधिवर्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से देय हो सकती है। इसे स्पष्ट किया जाए।	सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से पेंशन मंजूर की जाती है, अर्थात यदि कर्मचारी 31.01.2023 से अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुए हों, तो पेंशन अगले दिन अर्थात 01.02.2023 से शुरू हो जाएगी।
(iv)	सेवारत कर्मचारियों के मामले में, एनपीएस से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में अंतरण होने पर जीपीएफ खाता खोला जाता है। इस मामले में जीपीएफ	सेवानिवृत्त अधिकारियों को ओपीएस के तहत कवर करने के लिए, उनका जीपीएफ खाता खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जारी -

	खाता खोलने पर कार्यालय ज्ञापन में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। चूंकि कर्मचारी का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ वसूल नहीं किया जा रहा है, उनके जीपीएफ खाते में जमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः कर्मचारी का जीपीएफ खाता नहीं खुल सकेगा। इसे स्पष्ट किया जाए।	
(v)	ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने अभी तक एनपीएस के तहत लाभ नहीं लिया है। कार्यालय ज्ञापन में यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या (क) उनका पूरा कोष एनएसडीएल से निकाला जाना है और एनपीएस से निकासी की तारीख पर संचित कोष में प्रतिलाभ सहित उनका हिस्सा सीधे उन्हें वापस किया जाना है या उनका अंशदान खोले जाने वाले जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा और फिर ब्याज सहित बंद कर दिया जाएगा।	यदि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा संचित धनराशि नहीं निकाली गई है, तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी रकम पर किसी प्रकार के ब्याज का प्रश्न ही नहीं उठता।
(vi)	ऊपर(v) में उल्लिखित मामलों की बाबत, जहां तक सरकारी अंशदान और उस पर मिलने वाले प्रतिलाभ का संबंध है, इसे सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है। इस मामले में कोई ब्याज सम्मिलित नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाए।	

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. – 57/05/2021-P&PW(B)/8860
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 09.04.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Options for inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have since been retired- reg.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare administers pension related policy matters in respect to Central Government civil employees. This Department has issued instructions vide OM No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03.03.2023 giving one time option to the Central Government civil employee for inclusion under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021) who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003. As per para 7 of this OM, it is for the appointing authority of the post against which such option has been exercised to examine and decide applicability of these instructions.

2. Further, instructions were issued vide OM No. 57/03/2022-P&PW(B)/8361(1) dated 20.10.2023 on the question of applicability of aforesaid instructions dated 03.03.2023 to the Central Government employees who have since retired from service before issue of these instructions.

3. Further, references were received seeking clarification with respect to applicability of aforesaid instructions dated 03.03.2023 to the Central Government employees who have since retired from service before issue of these instructions. Accordingly, following FAQs are being issued to deal with these matters :

S. No.	Points on which clarification sought	Comments of DoPPW
(i)	The OM dated 20.10.2023 requires refund of two elements viz. (a) Government contribution and return thereon under NPS and (ii) interest thereon. While the amount of Government contribution and the return thereon in the accumulated corpus of wealth under NPS account of the subscriber at the time of his exit on retirement would be ascertained from NSDL, the rate and manner of recovery of interest (simple or	In the DoPPW OM dated 20.10.2023, it was clarified that there is no restriction on applicability of aforesaid OM dated 03.03.2023 to Central Government employees who are otherwise eligible for the coverage under OPS and who already retired from service. Since, in this case, employee has already availed benefits under NPS, the Government contribution and return thereon under the NPS would require to be refunded along with interest

Contd-

	compound and the rates at which compounding is to be done) from the date of exit to the date of refund by the employee is not clear.	thereon by the Government servant in order to avail the benefit under the CCS(Pension) Rules, 1972, in case, he is found eligible for coverage under old pension scheme in terms of DoPPW OM dated 03.03.2023.
(ii)	The OM is silent on the date upto which the return on the Government contribution is to be recovered. Whether it is upto the date of superannuation/ retirement or date of conversion from NPS to pension under CCS (Pension) rules. If the date of recovery of return is upto the date of superannuation/ retirement of the employee, then whether any adjustment or recovery from the annuity availed by the employee after the date of retirement is required to be made or not and if so, the manner of recovery/ adjustment.	The rate and manner of calculation of interest on the amount to be refunded would be in accordance with the instructions issued by this Department vide O.M. No. 38/34/2001-P&PW(F) dated 29.04.2002 i.e. the interest would be calculated at the same rate and in the same manner as in the case of GPF deposits, applicable from time to time for the period from the date of receipt of pensionary benefits to date of refund to the Government.
(iii)	The order does not indicate the date from which the pension is to be given to the retired employee. As the retire Government contribution along with interest is to be recovered from the retired employees, apparently the pension may become payable from the date of their retirement on superannuation. This may be got clarified.	The pension is to be granted from the next date of superannuation/retirement of the Government employees i.e. if the employees had superannuated or retired w.e.f. 31.01.2023, the pension would start from next date i.e. 01.02.2023.
(iv)	In case of serving employees, GPF account is opened on their migration from NPS to old pension scheme under CCS (Pension) Rules. The OM is silent on opening of GPF account in this case. As the employee's contribution and return thereon is not being recovered, there is nothing to credit to their GPF account. So GPF account of the employee may not be opened. This may be got clarified.	There is no question of opening of any GPF account in respect to retired officers for their inclusion under OPS.
(v)	Those retired Government employees who have not yet withdrawn the benefit under NPS, the OM is not clear on whether (a) their entire corpus is to be withdrawn from NSDL and their share along with return thereon in the accumulated corpus on the date of exit from NPS is to be returned to them directly or his contribution is to be deposited in the GPF account to be opened and then closed with interest.	In case, the accumulated corpus has not been withdrawn by Government servant on his retirement, then the NPS account would be closed and the Government contribution along with return thereon in the corpus at the time of exit would be transferred into the Government account and there is no question of any interest on such amount.

contd.

(vi)	In respect of cases mentioned in (v) above, as far as the government contribution and return thereon is concerned, the same may be credited in the Government account. No interest is involved in this case. This may be got clarified.	

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organizations,
(As per standard list)